

राजस्थान कर बोर्ड, कर भवन,
अजमेर

सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 का

क्रियान्वयन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन



अध्याय—1 प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

इस अधिनियम द्वारा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण क्षेत्र में प्रचलित विधि एवं शासन पद्धति की विस्तृत जानकारी एवं सूचना प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाना है। प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और इसी संदर्भ एवं उद्देश्य से केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है।

संविधान में भारत को प्रजातांत्रिक गणतन्त्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रजातांत्रिक आवश्यकता है कि सरकार में कार्यरत व्यक्ति शासन के प्रति तथा जनता के प्रति पूर्णरूप से जवाबदेह रहे, ताकि प्रत्येक नागरिक को सूचना की जानकारी, कार्यप्रणाली तथा उसमें पारदर्शिता बनी रहे।

सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं की जानकारी आम नागरिकों को उनके चाहने पर उपलब्ध कराई जाये।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य

लोक प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों, क्रियाकलापों, कार्य प्रणाली से संबंधित समस्त सूचनायें एक ही जगह पुस्तिका के रूप में संग्रहीत करना ताकि सूचना मांगे जाने पर तुरन्त, सम्पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जा सके।

1.3 हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है

लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

बार एसोसियेशन के सदस्य एवं व्यवसायी/व्यवहारी जो न्याय प्राप्त करने हेतु इस प्राधिकरण का क्षेत्र चयन करना चाहते हैं।

आम नागरिक जो न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के अधीन उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप

अध्याय 1 से 17 तक

1.5 परिभाषाएँ

1. समुचित सरकार :- इसका तात्पर्य लोक प्राधिकरण जिसकी स्थापना, गठन स्वामित्व, एवं वित्तीय व्यवस्था परोक्ष या अपरोक्ष रूप से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित निधियों से की गयी है।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग :- इसका गठन धारा 12 के अन्तर्गत उपधारा (1) के अन्तर्गत किया गया है।

3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी :- इसको पदनामित उपधारा (1) के अन्तर्गत किया गया है, जिसके साथ केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी धारा 5, उपधारा (2) द्वारा पदनामित किया गया है।

4. मुख्य सूचना आयुक्त :- इसकी नियुक्ति धारा 12, उपधारा (3) के अन्तर्गत की गई है।

5. सक्षम प्राधिकारी :- इसका तात्पर्य -

(अ) विधानसभा में अध्यक्ष तथा इसी अनुरूप विधान परिषद के लिए भी अध्यक्ष होगा।

(ब) सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायधीश।

(स) उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश।

(द) भारतीय संविधान के अन्तर्गत गठित अन्य प्राधिकृत के लिए जैसी भी स्थिति हो राष्ट्रपति या राज्यपाल होंगे।

(इ) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

6. सूचना :- इसका तात्पर्य उस सामग्री से है जो किसी भी स्वरूप में हो यथा :- अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, प्रेस रिलिज परिपत्र, आदेश, संविदायें, प्रतिवेदन कागजात, नमूने, मोडल जो किसी

भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है और निजी निर्णय से संबंधित व सूचना भी अभिप्रेरित है, जिस तक लोक प्राधिकारी द्वारा तत्कालीन समय में प्रचलित अन्य विधि के प्रावधानोंनुसार लोक प्राधिकारी तक पहुंचा जा सकता है।

7. आधिकारिक आज्ञा :- इसका तात्पर्य सक्षम अधिकारी या सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली से है।

8. लोक प्राधिकरण :- इसका तात्पर्य स्वायत्त सरकार द्वारा गठित या शासन निकाय या संस्थान से है जो :-

(क) संविधान अनुसार गठित हो ।

(ख) संसद द्वारा कानून निर्मित हो।

(ग) राज्य विधानसभा द्वारा कानून निर्मित हो।

(घ) सक्षम सरकार द्वारा जारी निजी अधिसूचना के तहत स्थापित गठित है जिसमें ऐसे निकाय जो उचित सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा सारभूत रूप से वित्तकृत हो, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सारभूत रूप से ऐसी सरकार द्वारा वित्तकृत है।

9. अभिलेख :- इसके अन्तर्गत

(क) कोई प्रमाण, हस्तलिखित और पत्रावली।

(ख) कोई प्रमाण की माइक्रो-फिल्म।

(ग) छाया प्रति, छाया निर्मित माइक्रो-फिल्म जो बड़ी की हुई हो या वैसी ही हो।

(घ) कोई अन्य सामग्री जो कम्प्यूटर से तैयार की हुई हो।

10. सूचना का अधिकार :- इसका तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण या अधीन कार्यरत हो उनसे निम्न सूचना लेने का अधिकार सम्मिलित होगा।

1. कार्य प्रमाण और अभिलेख का निरीक्षण।

2. अभिलेख और प्रमाण की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना या उनका संक्षिप्त विवरण लेना।

3. सामग्री का प्रमाणित पत्र प्राप्त करना।

4. फ्लॉपी, टेप, विडियो कॅसेट और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रित सूचना जो कम्प्यूटर या सीडी में संकलित हो, प्राप्त करना।

11. राज्य सूचना आयोग :- धारा 15, उपधारा 1 के अधीन गठित आयोग।

12. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त :- धारा 15 उपधारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त।

13. राज्य लोक सूचना अधिकारी :- उपधारा 1 के अधीन पदनामित राज्य लोक सूचना अधिकारी।

14. तीसरा पक्ष :- इसका तात्पर्य नागरिक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं जिसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल है।

15. खण्डपीठ :- कर बोर्ड के दो या दो से अधिक सदस्यों से गठित पीठ।

16. एकलपीठ :- कर बोर्ड के अध्यक्ष अथवा एक सदस्य से गठित पीठ।

17. द्वितीय अपील :- उपायुक्त (अपील्स)/उपायुक्त (प्रशासन) कतिपय मामलों में आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग एवं जिला/राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील।

18. निगरानी :- उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय के विरुद्ध कर बोर्ड में दायर निगरानी।

19. आबकारी :- आबकारी आयुक्त के ऐसे निर्णय जो उनके द्वारा अधिनियम के तहत अपील के अतिरिक्त पारित किया गया हो के विरुद्ध कर बोर्ड में दायर अपील

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारियों के लिए संपर्क व्यक्ति

1. सचिवालय स्तर पर :- उपशासन सचिव (वित्त) अपीलीय अधिकारी

अनुभागाधिकारी (कर) राज्य लोक सूचना अधिकारी।

2. विभागीय स्तर पर :- अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर-अपीलीय अधिकारी

रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, राज्य लोक सूचना अधिकारी।

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने को विधि एवं शुल्क प्रार्थना पत्र शुल्क :- राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ 10/- रुपये राशि की नगद/ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक या पोस्टल आर्डर के सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

सूचना प्रदान करने का शुल्क :-

1. राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार सूचना प्रदान करने हेतु लोक प्राधिकरण को निर्धारण राशि की उचित रसीद/ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा प्रदान की जानी है, जिसकी दरें निम्नानुसार होगी :-

(अ) ए-4 या ए-3 साइज पेज की प्रति तैयार कर देने पर 2/-रुपये राशि देनी होगी ।

(ब) बडी साइज प्रति कराने का वास्तविक मूल्य देय होगा ।

(स) सेम्पल एवं मॉडल्स तैयार कर देने का वास्तविक मूल्य देय होगा ।

(द) रिकार्ड निरीक्षण या अवलोकन बाबत - प्रथम एक घण्टा निशुल्क तथा तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5/- रुपये का चार्ज वसूल होगा ।

2. राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदान की जाने वाली सूचना के लिए लोक प्राधिकरण को निर्धारित राशि की उचित रसीद/ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक या पोस्टल आर्डर द्वारा निम्न दरों पर प्रदान करनी होगी :-

(अ) डिस्क या फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने का शुल्क 50/- रुपये प्रति डिस्क या फ्लॉपी देय होगा ।

(ब) छपे हुये फार्म में उपलब्ध सूचना निर्धारित शुल्क पर देय होगी, तथा प्रकाशन की सूचना छाया प्रति में देने पर प्रति पेंज 2/- रुपये शुल्क अतिरिक्त लिया जावेगा ।

अध्याय-2 (मैनुअल -1)

संगठन को विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

विक्रय कर (वर्तमान में वैट) मुद्रांक कर, आबकारी एवं भूमि कर के अन्तर्गत अपील/निगरानी की सुनवायी कर शीघ्रतम निर्णय पारित करना। जिससे व्यवहारियों/व्यक्तियों को उनके वाणिज्यिक कर, मुद्रांक, आबकारी एवं भूमि कर संबंधी प्रकरणों में त्वरित न्याय मिल सके। इसके अलावा प्रदेश के तीन संभागीय मुख्यालयों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारियों एवं व्यक्तियों को न्याय प्राप्ति आसान बनाने हेतु इन संभागीय मुख्यालयों पर कर बोर्ड की सर्किट बेंचेज भेजी जाती हैं। मुद्रांक कर के मामलों में कर बोर्ड को चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथारिटी घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को मुद्रांक संबंधी निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस प्रकार राजस्थान कर बोर्ड राज्य की जनता हेतु वाणिज्यिक कर/मुद्रांक/आबकारी/भूमि कर संबंधी मामलों में त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर प्रयासरत हैं।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :-

राज्य के व्यवहारियों/व्यवसायियों एवं आम जन को वाणिज्यिक/मुद्रांक/आबकारी/ भूमि कर संबंधी उनकी शिकायतों/अपीलों/निगरानियों में सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाना।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग -

सर्वप्रथम राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 1.5.1985 को संविधान की धारा 323(बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत विक्रय कर से संबंधित लम्बितवादों का शीघ्रतम निपटारा करने के उद्देश्य से की गई थी, जो इससे पूर्व राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सुने जाते थे। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे, और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के विरुद्ध मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में हो सकती थी। इस प्रकार राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के गठन से व्यवहारियों/विभाग को न्याय प्राप्ति की एक अतिरिक्त स्टेज प्रदान की गयी थी।

तत्पश्चात दिनांक 01.10.1995 को इस अधिकरण का नाम परिवर्तित कर राजस्थान कर बोर्ड कर दिया गया और इसके क्षेत्र को और व्यापक बना दिया गया ताकि भविष्य में अन्य करों से संबंधित प्रकरणों को भी राजस्थान कर बोर्ड में स्थानान्तरित किया जा सके एवं अपीलकर्ता/निगराकर्ता को शीघ्र न्याय मिल सके।

इसी कड़ी में राजस्थान वित्त विधेयक 2005 के द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2 में संशोधन कर राज्य सरकार ने मुद्रांक संबंधी मामलों में राजस्थान कर बोर्ड को चीफ

कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी अर्थात् सी.सी.आर.ए. घोषित किया गया है। यह संशोधन 24.3.2005 से प्रभावी हुआ है और इसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित लगभग 1800 निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित हुई हैं। तत्पश्चात राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 ए में संशोधन अधिनियम, 2007 के जरिए किया जाकर आबकारी, आयुक्त के द्वारा पारित आदेश जो उनके समक्ष अपील में अन्यथा पारित किये गये हो, के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी दिनांक 19.05.2007 के जरिये प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि कर अधिनियम, 2006 के तहत भी कर बोर्ड को इस अधिनियम के तहत अपीलें सुनने का अधिकार प्रदान किया गया। भविष्य में अन्य करों से संबंधित अपील/निगरानियां भी कर बोर्ड को स्थानान्तरित की जा सकती है।

राजस्थान कर बोर्ड में न्यायिक कार्य हेतु एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य पदस्थापित हैं, जो खण्डपीठ/एकलपीठ में बैठकर प्रकरणों का निपटारा करते हैं।

शुरूआत से ही कर बोर्ड की मुख्यालय पीठ के अलावा जयपुर में सर्किट बेंच लगती रहीं हैं। इसी क्रम में जोधपुर एवं उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर भी सर्किट बेंच भेजने का निर्णय लिया गया ताकि संबंधित क्षेत्र के व्यवहारियों/व्यवसायियों को उनका संभागीय मुख्यालय पर ही न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :-

1. विक्रय कर/वैट/मुद्रांक/आबकारी/भूमि संबंधी प्रकरणों में तथ्यों की जांच कर निर्णय पारित करना।


2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :-

1. विक्रय कर/वैट से संबंधित द्वितीय अपील की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
2. मुद्रांक कर से संबंधित निगरानियों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
3. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
4. राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल इन्टू लोकल एरिया एक्ट, 1988 से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
5. राजस्थान टैक्स ऑन लग्जरीज (टोबैको एण्ड इट्रा प्रॉडक्ट्स) एक्ट, 1994 से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
6. राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टू लोकल एरिया एक्ट, 1999 से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
7. राजस्थान आबकारी एक्ट, 1950 से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।
8. राजस्थान भूमि कर अधिनियम, 2006 से संबंधित अपीलों की सुनवाई कर निर्णय पारित करना।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

1. विक्रय कर/मुद्रांक संबंधी प्रकरणों में न्याय प्रदान करना।
2. निर्णय की प्रति अपीलकर्ता/निगराकर्ता को उपलब्ध कराना।

2.7 लोक प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा



2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहायोग को अपेक्षाएं

लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु जन साधारण से यह अपेक्षित हैं कि वे सूचना/जानकारी हेतु विषय वस्तु के संबंध में बेहतर विवरण देवें तथा प्रार्थना पत्र के साथ में निर्धारित देय शुल्क का भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित कर लेवें ताकि वांछित सूचना/ जानकारी उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके।

2.9 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :-

1. यह संभव है कि कर बोर्ड की न्यायिक कार्यप्रणाली से जनमानस पूर्ण संतुष्ट ना हों या उनकी अपेक्षा के मुताबिक ना हों। ऐसे में सेवाओं को सुचारु बनाये रखने के लिये बार एसोसियेशन के सदस्यों एवं नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे सेवादोषों के संबंध में अपनी शिकायतें एवं सुझाव अधिकृत अधिकारियों तक लिखित रूप में पहुँचाएँ। इससे सेवाओं के समुचित संचालन में सहायता मिलती है।

2. आप अपनी शिकायत/सुझाव रजिस्ट्रार राजस्थान कर बोर्ड को देवें।

3. रजिस्ट्रार, कर बोर्ड आपकी शिकायतों का समाधान यथाशीघ्र एक माह की समयावधि में करेगे एवं शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देंगे।

4. संतुष्ट ना होने की स्थिति में आप अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर को भी पूर्ण शिकायत मय तथ्यात्मक विवरण व अपने पूर्ण पते सहित भेज सकते हैं।

2.10 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते व फोन नं. :-

<u>राज्य स्तर :-</u>	राजस्थान कर बोर्ड, कर भवन, अजमेर	0145-2627803
<u>सर्किट कैम्प :-</u>	1. योजना भवन, प्रथम तल, जयपुर (माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में ही)	0141-2227142 PBX
	2. उपायुक्त अपीलस कार्यालय, कर भवन, जोधपुर (त्रैमासिक कैम्प)	0291-2650377
	3. उपायुक्त अपीलस कार्यालय, कर भवन, उदयपुर (त्रैमासिक कैम्प)	0294-2584470

2.11 कार्यालय के खुलने का समय

1.	मुख्यालय अजमेर	:	प्रातः 09.30 से सायं 6.00 बजे तक
2.	सर्किट बैन्च कैम्प, जयपुर	:	प्रातः 09.30 से सायं 6.00 बजे तक (माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में ही)
3.	सर्किट बैन्च कैम्प, जोधपुर	:	प्रातः 09.30 से सायं 6.00 बजे तक (त्रैमासिक माह के चतुर्थ सप्ताह में)
4.	सर्किट बैन्च कैम्प, उदयपुर	:	प्रातः 09.30 से सायं 6.00 बजे तक (त्रैमासिक माह के चतुर्थ सप्ताह में)

अध्याय-3 (मैनुअल -4)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. माननीय अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में गठित होने वाली एकलपीठ, खण्डपीठ एवं वृहत्पीठ का गठन किया जाता है और उनके द्वारा ही यह तय किया जाता है कि कौनसा पीठासीन अधिकारी किस पीठ में बैठेगा।

2. राजस्थान कर बोर्ड के समस्त प्रशासनिक, न्यायिक एवं वित्तीय कार्य उनकी स्वीकृति से किये जाते हैं।

3. राजस्थान के किसी भी जिले में कैम्प कोर्ट उनकी स्वीकृति से लगाये जा सकते हैं।

4. यदि कोई वाद सुनवायी तिथी के पहले अथवा पश्चात् सूची बद्ध किया जाता है, तो उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति अपेक्षित हैं।

5. यदि एकलपीठ के पीठासीन अधिकारियों को किसी विधिक बिन्दु पर कोई संशय हो तो वो संबंधित बिन्दु पर चर्चा हेतु वृहत्पीठ गठन के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव भिजवा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय उस विधिक बिन्दु पर वृहत्पीठ का गठन कर सकते हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया में और अधिक एकरूपता लायी जा सकती है।

2. माननीय सदस्यगण राजस्थान कर बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

1. माननीय सदस्य गण अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार गठित एकलपीठ, खण्डपीठ एवं वृहत्पीठ में पीठासीन अधिकारी के रूप में सुनवाई करते हैं एवं उचित निर्णय पारित करते हैं।

3. रजिस्ट्रार राजस्थान कर बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक कार्यों को संपादित करते हैं।

4. सहायक लेखाधिकारी राजस्थान कर बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

1. वित्त संबंधी मामलों में उच्चाधिकारियों को सहयोग देना। रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के तहत ये आहरण-वितरण अधिकारी भी हैं।

अध्याय-8 (मैनुअल -7)

सहायक लोक सूचना अधिकारी :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री गौरीशंकर	सहा. लेखा.	0145	2627803	—	2627803	rajtaxboard@yahoo.co.in	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

लोक सूचना अधिकारी :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1		रजिस्ट्रार	0145	2627803	—	2627803	rajtaxboard@yahoo.co.in	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विभागीय अपीलेट ऑथेरिटी :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री राकेश श्रीवास्तव	अध्यक्ष	0145 0141	2627903 2228790	—	2627803	rajtaxboard@yahoo.co.in	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अध्याय-9 (मैनुअल -8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है।

1. विक्रय कर एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों से संबंधित मामलों में सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाते हैं।
2. मुद्रांक कर से संबंधित मामलों में राजस्थान मुद्रांक कर अधिनियम, 1998 एवं नियम 1999 के तहत सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाते हैं।
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत सूनवाई कर निर्णय पारित करना।
4. भूमि कर अधिनियम 2006 के तहत सुनवाई कर निर्णय पारित करना।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तर पर विचार किया जाता है।

साधारणतया: कर बोर्ड में सभी प्रकरण बोर्ड की खण्डपीठ एवं एकलपीठ द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद निर्णित किये जाते हैं।

9.3 लिए गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है।

1. इस हेतु कर बोर्ड की अपनी वेबसाइट है, जिसका पता "www.rajtaxboard.gov.in" है जिस पर वाद सूची से लेकर निर्णयों की स्थिति उपलब्ध करायी जाती है।
2. कर बोर्ड की विभिन्न पीठों द्वारा पारित निर्णयों की एक प्रति अपीलकर्ता/निगराकर्ता एवं प्रत्यर्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
3. इसके अलावा विभिन्न लॉ जर्नल्स में भी कर बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रकाशन करवाया जाता है जिससे संबंधित पक्षों को कर बोर्ड में हुए निर्णयों की जानकारी प्राप्त होती रहती है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है।

1. न्यायिक कार्य हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य गण।
2. प्रशासनिक कार्य हेतु अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार।

9.5 अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी।

अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

क्र. सं.	1	2
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	वाणिज्यिक कर से संबंधित अपीलें	मुद्रांक कर से संबंधित अपीलें
दिशा-निर्देश (यदि हों तो)	R.S.T. Act, 1994 & VAT Act 2003 and Rules 2006	Rajasthan Stamp Act, 1998 Rajasthan Excise Act, 1950 Raj. Land Tax Act. 2006
निर्णय लेने की प्रक्रिया	न्यायिक प्रक्रिया	न्यायिक प्रक्रिया
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	अध्यक्ष, सदस्य, रजिस्ट्रार	अध्यक्ष, सदस्य, रजिस्ट्रार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करे	माननीय उच्च न्यायालय	माननीय उच्च न्यायालय

अध्याय-10 (मैनुअल -9) **अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका**

पूर्ण विवरण अगले पृष्ठ पर हैं :-

S.NO.	NAME	DESIGNATION	TEL NO.	MOB. NO.	ADDRESS	GROSS SALARY Per Month
1	SHRI RAKESH SHRIVASTAVA	CHAIRMAN	2627903	9810505633	E-27, NEAR DEFENCE SCHOOL, VAISHALI NAGAR, JAIPUR	176000
2	VACANT	MEMBER				
3	VACANT	MEMBER				
4	SHRI SUNIL SHARMA	MEMBER	2627675	9414026983	MALVIYA NAGAR, JAIPUR	131800
5	SHRI MADAN LAL	MEMBER	2627296	9413385864	BALDEV NAGAR VAISHALI NAGAR, AJMER	124210
6	SHRI MANOHAR PURI	MEMBER		9414291175	JAWAHAR NAGAR AJMER	
7	SHRI ATUL SHARMA	MEMBER	2627703	9829811444	SHANKAR SADAN, 504/1, LOHAGAL ROAD, AJMER	
8	VACANT	REGISTRAR				
9	SMT. PRAMILA SHARMA	ASST. REG.	2627803	9829086780	22/492, KHANIJ NAGAR, BALUPURA ROAD, ADARSH NAGAR AJMER	63150
10	SHRI GOURI SHANKAR	A.A.O.	(01463)243287	9214590595	SHIVAJI NAGAR, KISHANGARH	63600
11	SATYAMANYU SINGH GAUR	P.S.	2421405	9828174973	F-2, MEERSHAH ALI COLONY, AJMER	70442
12	SURENDRA KUMAR PAREEK	P.S.	2601890	9828972704	269, PRAGATI NAGAR, KOTRA, AJMER	67230
13	NIRANAJAN SINGH PICHANOT	SR. P.A.	2664008	9413948302	326, SHAKTI NAGAR, CHUNGI CHOWKI, SHRINAGAR ROAD, AJMER	50862
14	VACANT					
15	SHAHEEN KHAN	LIB.	2680786	9414252978	H.NO. 535/13, KHANPURA COLONY, AJMER	60190
16	MANAK CHAND JAIN	JR. ACCT.	2628253	9828174976	59, NAGINA BAGH, AJMER	52886
17	SHRI JITENDAR PARCHAWANI	STENO	-	9829707247	RAMVIHAR COLONY, AJMER	47298
18	VACANT	O.A.	-			
19	VACANT	O.A.				
20	VINOD KUMAR SANKHALA	U.D.C.	2660228	9413204246	29/803, MAYO LINK ROAD, AJMER	48860
21	VACANT					
22	CHANDRA PRAKASH AIRUN	U.D.C.	(01491) 221060	9460111468	584, RAMDAYAL MOHALLA, NASIRABAD	43822
23	ANIL KUMAR BHATNAGAR	U.D.C.	2670205	-	79/3, J.P. NAGAR, MADAR, AJMER	43822
24	RAVINDRA KUMAR JAIN	U.D.C.	2640872	9460790240	STREET-2, DWARKA NAGAR, CHAURASI AWAS ROAD, AJMER	43822
25	LAL CHAND DEVJANI	U.D.C.	2690287	9460733823	83, VIVEKANAND COLONY, AJAY NAGAR, AJMER	36210
26	RAM PRASAD MEENA	U.D.C.	-	9829565689	MODI KA JHOPARA, (SANWAR), AJMER	29412
27	SANDEEP SHRIVASTAVA	U.D.C.	2681887	9460932609	49, PARIVAHAN NAGAR, BALUPURA ROAD, ADARSH NAGAR, AJMER	35066
28	NARPAT SINGH	U.D.C.	-	9982131263	NEAR GORGE FLOOR MILL, SUNDER NAGAR, KOTRA, AJMER	36210
29	REKHA MENGHANI	L.D.C.	2660108	9829346307	1-J-7, DHOLA BHATA COLONY, AJMER	32712

30	VACANT	L.D.C.	-			
31	SUNITA AMARNANI	L.D.C.	2640442	7597877291	A-97, MANSAROVAR COLONY, VAISHALI NAGAR, AJMER	32712
32	DEVENDRA KUMAR	L.D.C.	-	9214599463	710/30, GUJAR DHARTI, NAGARA, AJMER	24638
33	PRAMOD KOTHARI	L.D.C.	(01463) 246155	9414314018	OPPOSITE MAHAVIR BHAWAN, MADANGANJ-KISHANGARH	22648
34	GORAKH NATH JOGI	L.D.C.	-	9024050105	VILLAGE LADAPURA, VAYA GAGWANA, AJMER	22548
35	SONAM GUPTA	L.D.C.	-	9529998991	784/35, BAR COMPOUND, NAGRA, AJMER	7900 F
36	DHARMENDRA BUNDEL	L.D.C.	-	9829514245	903/32, LAXMAN CHOWK, JADUGAR, AJMER	24528
37	SHIV KARAN GAINA	DRIVER	2796256	9828651500	VILLAGE-TABIJI, VAYA SARADHANA, AJMER	42278
38	PREM CHAND SEN	DRIVER	5120101	9785021460	NEAR SHASTRI NAGAR CHUNGI CHOWKI, AJMER	39682
39	KANHIYA LAL TANWAR	DRIVER	2661618	9828178218	1225/13, DHOLA BHATA, UPAR KA KUWA, AJMER	34600
40	UTTAMCHAND SHARMA	DRIVER	-	9314531549	PLOT NO. 118, ASHOK VIHAR, DIGGI ROAD, SANGANER, JAIPUR	27428
41	SARDAR LAL	JAMADAR	-	9269086726	CHATRI YOJANA, KACCHI BASTI, ANTER, AJMER	25162
42	SHARVAN LAL	CLASS IV	-	8003238625	VILLAGE BAGHSURI VAYA NASIRABAD, AJMER	25162
43	NANDLAL GURJAR	CLASS IV	-	9214605017	DHAN MANDI, PANDIO KA MOHALLA, KISHANGARH	25162
44	MOHAN LAL	CLASS IV	(01491)222408	9950945852	VILLAGE BALWANTA, VAYA NASIRABAD, AJMER	25162
45	TAN SINGH	CLASS IV	-	9799321257	OLD CHUNGI CHOWKI, MEERSHAH ALI, AJMER	25162
46	INDRADUTT SHARMA	CLASS IV	2621957	9269264106	NAI BASTI, PRATAP NAGAR, LOHA KHAN, AJMER	25140
47	DURGESH KUMAR	CLASS IV	-	9214921459	820/3, SHIVNAGAR, FOY SAGAR ROAD, AJMER	25190
48	PUKHRAJ VAISHNAV	CLASS IV	-	9982259008	VILLAGE-TABIJI, VAYA SARADHANA, AJMER	25140
49	GIRISH KUMAR	CLASS IV	2664890	8302180232	99, NAGBAI, DHOLA BHATA ROAD, AJMER	23512
50	SUNIL KUMAR	CLASS IV	2796647	9001336791	VILLAGE-TABIJI, VAYA SARADHANA, AJMER	23512
51	SEETARAM SEN	CLASS IV	-	9314466537	TAGORE COLONY, CHAURASIAWAS ROAD, AJMER	23512
52	PRITAM KUMAR PANWAR	CLASS IV	-	9509174748	INDRA NAGAR COLONY, DHOLA BHATA, AJMER	21381
53	TRILOL PRAJAPATI	CLASS IV	-	9166330931	DATA NAGAR, AJMER.	15862
54	MUMTAZ BANO	CLASS IV	-	9269064684	CHANDRVARDI NAGAR, AJMER	15862
55	UGENDRA KUMAR	CLASS IV	-	9973983586	474, SHASTRI NAGAR, JAIPUR	15400
56	SATYANARAYAN	CLASS IV	-	7737030620	NARISHALA, AJMER	15400

अध्याय-11 (मैनुअल -10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक
पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

लोक प्राधिकरण का नाम : राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

लेखा शीर्ष: 2040-बिक्री कर

III-राजस्थान कर बोर्ड

क्र.सं.	पद का नाम	रनिंग पै बेण्ड व ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या
1	अध्यक्ष	67000-79000	1
2	सदस्य	37400-67000 (10000)	6
3	रजिस्ट्रार	15600-39100 (8200)	1
4	सहा.रजिस्ट्रार	15600-39100 (6000)	1
5	सहा. लेखाधिकारी	15600-39100 (4800)	1
6	निजी सचिव	15600-39100 (6000)	2
7	वरिष्ठ निजी सहायक	9300-34800 (4800)	1
8	निजी सहायक	9300-34800 (4200)	1
9	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 (4200)	1
10	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800 (3600)	1
11	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 (3600)	2
12	पुस्तकालयाध्यक्ष	9300-34800 (4200)	1
13	शीघ्र लिपिक	9300-34800 (3600)	4
14	लिपिक - प्रथम	5200-20200 (2800)	8
15	लिपिक - द्वितीय	5200-20200 (2400)	12
16	वाहन चालक	5200-20200 (2400)	4
17	जमादार	5200-20200 (1750)	1
18	प्रोसेस सरवर	5200-20200 (1700)	2
19	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200 (1700)	14
	योग		64

अध्याय-12 (मैनुअल -11)

विभाग को आवंटित बजट

क्र.सं.	उपशीर्ष	आवंटित बजट (राशि लाखों में)
1.	संवेतन	301.90
2.	यात्रा व्यय	3.50
3.	चिकित्सा व्यय	3.00
4.	कार्यालय व्यय	18.00
5.	वाहन क्रय	0.01
6.	वाहन संधारण	4.00
7	पुस्तकालय	1.70
8	वाहन किराया	6.12
9	वट्टी	0.22
10.	संविदा व्यय	6.12
11	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	3.12
	योग	416.99

अध्याय-15 (मैनुअल -14)
कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/नजरसानी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
2. प्रार्थी और अप्रार्थी स्वयं द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष सम्बन्धित वाद के सम्बन्ध में मेमोरेण्डम ऑफ अपील या क्रॉस आब्जेकशन/निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. ऐसी कोई भी अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन जो प्रार्थी के अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में मय विवादित आदेश की सत्यापित प्रति एवं अधिकार पत्र के प्रस्तुत की जायेगी उसमें प्रार्थी द्वारा दिया गया अधिकार पत्र/वकालत नामा स्वयं का पता लिखा रजिस्टर्ड लिफाफे सहित प्रस्तुत करेंगे। उपराजकीय अभिभाषक, जिसे राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिये नियुक्त किया जाता है, उसको किसी भी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ऐसे अधिवक्ता द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ अपेरियन्स स्वयं का हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत करेंगे जैसा कि सिविल प्रोसिजर कोर्ट, 1908 के आदेश 3 के नियम 4 के उपनियम (5) में उल्लेखित किया गया है जो कि समय समय पर परिवर्तित किया जाता है।
4. किसी भी वाद से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रार्थनापत्र आने पर उसको रजिस्ट्रार राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

वादो का पंजीकरण :-

1. अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार उनको पंजीकरण कर उनका पंजीकरण नम्बर आवंटित करेंगे एवं समस्त वाद सम्बन्धित अधिनियम एवं नियमों के तहत क्रियान्वित होंगे। यदि प्रस्तुत वादों में किसी प्रकार की कोई कमी पेशी पाई जाती है तो रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा उस कमी पेशी को पूर्ण करने हेतु प्रार्थी/उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता को सूचित किया जायेगा। प्रार्थी/उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता उस कमी पेशी को नियत समय के भीतर पूर्ण करेंगे। जो कि अधिकतम 30 दिवस या रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ायी गई समय सीमा होगी।
2. यदि प्रस्तुत अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन नियम 7(2)(2) के तहत पाई जाती है या कमी पूर्ति को रजिस्ट्रार द्वारा दी गई समय सीमा के तहत उसको पूर्ण किया जाता है तो रजिस्ट्रार उस अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन को नियमित कॉजलिस्ट में दर्ज कर सम्बन्धित माननीय बैंच के समक्ष प्रथमदृष्टया सुनवाई हेतु नियत करेंगे, इस बाबत् प्रार्थी को नोटिस द्वारा सूचित किया जायेगा।
3. यदि प्रस्तुत अपील/क्रॉसआब्जेकशन/प्रार्थनापत्र/निगरानी/परिशोधन में प्रार्थी द्वारा कमी पूर्ति को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार सम्बन्धित बैंच के समक्ष उस वाद को आदेशार्थ नियत करेंगे इस बाबत् प्रार्थी को नोटिस द्वारा सूचित किया जायेगा।

वादों की स्वीकृति :-

1. माननीय बैंच द्वारा उनके समक्ष नियत वादों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड मंगाने हेतु आदेश जारी करेगी। यदि माननीय बैंच यह पाती है कि नियत वाद प्रथम दृष्टया ग्रहण योग्य नहीं है तो उसका निस्तारण सुनवाई पश्चात् (in limini) उसी समय कर दिया जावेगा। जब तक वाद अपूर्ण रहते हैं अथवा अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड प्राप्त नहीं होता है तब तक वाद रजिस्ट्रार कोर्ट में ही नियत किये जायेगे एवं वादों के पूर्ण हो जाने अथवा अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड प्राप्त हो जाने के पश्चात् उन वादों को माननीय बैंच के समक्ष नियत किया जायेगा।

वाद सूची :-

1. प्रत्येक कोर्ट की वाद सूची की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती है एवं पंजीबद्ध स्थानीय अधिवक्ताओं से 240/-रूपये वार्षिक एवं अजमेर से बाहर के अभिभाषकों से 360/- रूपये वार्षिक की दर से वाद सूची उपलब्ध कराई जाती है। कर बोर्ड की वाद सूची एवं कर बोर्ड के गठन का संक्षिप्त परिचय कर बोर्ड की वेबसाइट "www.rajtaxboard.gov.in" पर उपलब्ध है जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है।

बैंचों में प्रकरण की सुनवाई :-

1. कर बोर्ड में सम्बन्धित सदस्यगण उनको आवंटित बैंच में नियत वादों की ही सुनवाई करते हैं। विक्रय कर से सम्बन्धित वादों में विवादित राशि यदि 10.00 लाख रूपए तक की तथा मुद्रांक कर से सम्बन्धित वादों में विवादित राशि यदि 5.00 तक की है तो उन सभी वादों की सुनवाई एवं निस्तारण बोर्ड की एकलपीठ द्वारा किया जाता है। यदि विक्रय कर के वादों में विवादित राशि 10.00 लाख रूपए से तथा मुद्रांक कर में राशि 5.00 लाख रूपये से अधिक अथवा वाद कर की दर से सम्बन्धित हो अथवा माल के वर्गीकरण, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय छानबीन समिति से सम्बन्धित हो तो उन सभी वादों की सुनवाई एवं निस्तारण बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार आबकारी प्रकरणों की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा व भूमि कर से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एकलपीठ द्वारा की जाती है।
2. कर बोर्ड की एकलपीठ/खण्डपीठ द्वारा प्रकरण की पूर्ण सुनवाई करने के पश्चात निर्णय पारित किये जाते हैं। निर्णयों की एक सत्यापित प्रति वाद से संबंधित प्रार्थी व अप्रार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

अध्याय-16 (मैनुअल -15)
इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

राजस्थान कर बोर्ड की विभिन्न पीठों में नियत किये जाने वाले वादों यथा अपीलों/निगरानियों की वादसूची विभाग की वैबसाईट www.rajtaxboard.gov.in पर उपलब्ध है जिसमें एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात् नियत किये गये/जाने वाले समस्त वादों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा कर बोर्ड में पारित निर्णयों बाबत् जानकारी भी वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्याय-17 (मैनुअल -16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- पुस्तकालय
 - अखबारों के द्वारा
 - सूचना पटल
 - अभिलेखों का निरीक्षण
 - दस्तावेजों को प्रति प्राप्त करने को व्यवस्था
 - लोक प्राधिकरण को वैबसाईट
 - अन्य प्रचार प्रसार के साधन
1. वाद सूची का प्रकाशन